

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

22/11/2016

क्रमांक-एफ-4-108/सात-1/2016
प्रति,

नया, रायपुर दिनांक नवम्बर, 2016

22 NOV 2016

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

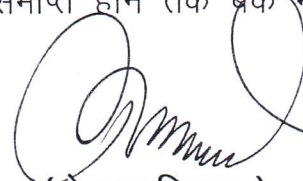
विषय: 500 एवं 1000 रुपये के पुराने नोट वैध मुद्रा न रह जाने के फलस्वरूप उपयुक्त व्यवस्था करने बाबत ।

संदर्भ: मुख्य सचिव का पत्र क्रमांक 255/2016/सीएस दिनांक 18.11.2016

-0-

उपरोक्त विषय में कृपया मुख्य सचिव के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से राजस्व विभाग के अंतर्गत बकाया राजस्व वसूली तथा बैंक आर.आर.सी. की वसूली दिनांक 24.11.2016 तक 500 एवं 1000 रुपये के पुराने बैंक नोट से करने के निर्देश दिये गये हैं । उक्त संबंध में यह पुनः सूचित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार की गई वसूली की जानकारी संलग्न प्रपत्र-“एक” तथा “दो” में अनिवार्य रूप से संधारित किया जावे। साथ ही प्राप्त राशि को दिनांक 24.11.2016 को कार्यालयीन समय समाप्त होने तक बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


(के.आर.पिस्टा)
सचिव 22/11/2016

छत्तीसगढ़ शासन

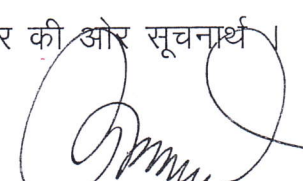
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नया, रायपुर दिनांक नवम्बर, 2016

22 NOV 2016

क्रमांक-एफ-4-108/सात-1/2016
प्रतिलिपि:

सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।


सचिव 22/11/2016
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

[illegible]

टीप:- पहवान पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्रायडिंग लायसंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड, पेन कार्ड, शासकीय/अशासकीय कार्यालयों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी पहवान पत्र आदि स्वीकार किया जावे ।

हस्ता./—
कार्यालय प्रमुख

[illegible]

हस्ता./—
कार्यालय प्रमुख